



2026:AHC:22451

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट ए संख्या 1350 वर्ष 2026

चंद्रप्रकाश शर्मा
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दामोदर पांडेय
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दामोदर पांडे और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री ऋष कुमार को सुना।
- विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री ऋष कुमार ने न्यायालय में कथन किया है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हैं और वे मामले पर बहस करने में सक्षम हैं तथा वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से याचिका का निर्णय नवीन स्तर पर किया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि श्री राम पांडे जनता नव माध्यमिक विद्यालय, गोदिया, कुशीनगर नामक एक संस्था है, जो उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 1978 और उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होती है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त संस्था को 29.08.1985 को स्थायी मान्यता दी गई थी और इलाहाबाद स्थित उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दिनांक 30.03.1995 के आदेश द्वारा संस्था में कुल 19 पद स्वीकृत किए थे, जिनमें 1 प्रधानाध्यापक, याचिकाकर्ता सहित 14 सहायक शिक्षक, 1 क्लर्क और 3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद शामिल थे। याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विज्ञापन प्रकाशित करते समय, याचिकाकर्ता ने उसमें भाग लिया और उसके बाद, याचिकाकर्ता का चयन किया गया और 30.06.2008 को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई, हालांकि, याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि प्रत्यर्थियों द्वारा इसे स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।
- इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थियों को दिनांक 30.06.2008 के आदेश के अनुसार वेतन भुगतान पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
- दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री ऋष कुमार का निवेदन है कि मामला चाहे जो भी हो, इस मामले का निर्धारण सर्वप्रथम जिला कुशीनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है।
- पीठ पर प्रस्तुत निवेदन पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता वेतन भुगतान का हकदार होने का दावा करता है, जिला कुशीनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में निर्णय लेना होगा। इसके लिए याचिकाकर्ता को याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ 20.02.2026 तक चौथे प्रत्यर्थी, जिला कुशीनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद जिला कुशीनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित संस्थान की प्रबंध समिति को नोटिस जारी करेंगे और दोनों पक्षों को सुनने के बाद चार महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेंगे।
- यदि चौथे प्रत्यर्थी की राय है कि मामले का निस्तारण किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, तो कागजात याचिकाकर्ता और प्रबंध समिति को उचित सूचना सहित प्रेषित किए जाएं।
- उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर निर्णय नहीं दिया है, हालांकि, अधिकारियों को याचिकाकर्ता के रिक्त पद पर चयन और नियुक्ति से संबंधित उक्त पहलू, नियमों का पालन और मामले के अन्य पहलुओं का निर्धारण करना होगा।

2 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"